(d) whether it is also a fact that still there is large quantum of gold, almost 122 tonnes being imported in clandestine manner, compared to legally imported gold; and

(e) whether Government would consider reduction in import duty on gold to curb smuggling drastically?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) and (b) Gold Fields Mineral Services Ltd., London have estimated the total imports of gold into India during the year 1993 as 257 tonnes.

(c) During 1993, import of gold by NRIs as baggage amounted to 116.16 tonnes and for jewellery exporters, the amount of import was 26.16 tonnes.

(d) Smuggling being a clandestine activity, it is not possible to quantify the gold being smuggled.

(e) There is no such proposal under consideration of the Government at present.

विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन

*126. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री वीरेन जे० शाह :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1993 में सरकार द्वारा राज्य सरकारों के विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस सम्मेलन में देश में पेश आ रही बिजली की समस्या का समाधान करने हेतु कतिपय निर्णय भी किए गए थे;

(ग) यदि हां, तो वे निर्णय क्या-क्या थे;

(घ) क्या उन निर्णयों को कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो उनके कार्यान्वयन की प्रगति का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : निवल अचल परिसम्पत्तियों पर निर्धारित सांविधिक 3 प्रतिशत की आय की दर को प्राप्त करने के उद्देश्य से इस सम्मेलन में राज्य बिजली बोर्डों (एस.ई.बी) के कार्य निष्पादन के निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलुओं को समाहित करने वाली एक कार्य-योजना अपनाई गई थी :—

(1) संयंत्र भार अनुपात में सुधार;
(2) पारेषण तथा वितरण हानियों में कमी;
(3) टैरिफ का यौक्तिकरण;
(4) राज्य बिजली बोर्डों की बकाया राशियों का समायोजन;
(5) उपलब्ध विदेशी सहायता का त्वरित रूप से समुपयोजन; और
(6) विद्युत के उत्पादन तथा वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

(घ) और (ङ) इन सुझावों को क्रियान्वित किए जाने की कार्रवाई सम्बन्धित राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों द्वारा की जाती है तथा भारत सरकार इस पर नियमित रूप से कार्रवाई कर रही है। इन निर्णयों के क्रियान्वयन की प्रगति के ब्यौरे को दर्शाने वाला एक विवरण दिया गया है।

विवरण

विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की प्रगति का ब्यौरा

1. राज्य बिजली बोर्डों के संयंत्र भार अनुपात में सुधार : राज्य बिजली बोर्डों के संयंत्र भार अनुपात में सुधार

लाने के लिए निम्नलिखित कार्य-योजना अपनाई गई थी :—

(क) 40 प्रतिशत से कम के संयंत्र भार अनुपात वाल राज्य बिजली बोड- आठवीं योजना के दौरान इनमें कम से कम 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक का सुधार लाया जाना है।

(ख) 40 प्रतिशत और 60 प्रतिशत के बीच के संयंत्र भार अनुपात वाले राज्य बिजली बोर्डों में 2 प्रतिशत प्रति वर्ष तक का सुधार लाया जाना है।

(ग) 60 प्रतिशत से ऊपर के संयंत्र भार अनुपात वाले राज्य बिजली बोड में कम से कम 1 प्रतिशत प्रति वर्ष तक का सुधार लाया जाना है।

वर्ष 1993–94 के लिए संयंत्र भार अनुपात को दर्शाने वाला विवरण अनुबन्ध-I के रूप में संलग्न है। **(नीचे देखिए)** 1993–94 में 57.8 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में अखिल भारतीय संयंत्र भार अनुपात 61 प्रतिशत था।

2. पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी : राज्य बिजली बोर्डों के सम्मिलित प्रयासों के कारण वर्ष 1992–93 की पारेषण एवं वितरण हानियां, 1991–92 में 22.83 प्रतिशत की तुलना में घट कर 21.8 प्रतिशत रह गई है, जिससे हानियों में 1.03 प्रतिशत की कमी आई है। वर्ष 1991–92 तथा 1992–93 के लिये राज्यवार वितरण एवं पारेषण हानियों को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध-II के रूप में संलग्न है। **(नीचे देखिए)**

3. टैरिफ का यौक्तिकरण : निम्नलिखित राज्य बिजली बोर्डों ने 1992–93 तथा 1993–94 के दौरान अपने टैरिफों में संशोधन किया है :—

"आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और असम।

निम्नलिखित राज्यों और संघ शासित राज्यों ने मीटर से आपूर्ति के लिए 50 पैसे प्रति कि.ग्रा. आवर के न्यूनतम कृष्टि टैरिफ को क्रियान्वित कर दिया है :—

"गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, गोवा, मणिपुर, नागालैण्ड, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, दिल्ली और दादर तथा नागर हवेली।"

4. राज्य बिजली बोर्डों की बकाया राशियों का समायोजन : राज्य बिजली बोर्डों को यह सलाह दी गई है कि वे केन्द्रीय क्षेत्र के उत्पादन निगमों की बकाया राशियों का भुगतान करें दे। राज्य बिजली बोर्डों को सलाह दी जाती है कि वे विद्युत की आपूर्ति तथा वितरण शुल्क दोनों के ही मामले में अपने औसत मासिक बिलिंग के 105 प्रतिशत की सीमा तक साख पत्रों को खोल दें। अधिकांश राज्य बिजली बोर्डों के साथ एन.टी.पी.सी.। पावरग्रिड द्वारा विद्युत की आपूर्ति पारेषण शुल्कों के बारे में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें इस बात का प्रावधान है कि बकाया राशियों का भुगतान न किए जाने पर राज्य को बिजली की आपूर्ति काट दी जायेगी। विवादास्पद बिलों के तीव्रता से भुगतान को आश्वस्त करने के लिए, क्षेत्रीय निर्णायकों को दो क्षेत्रों में नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही, सम्बन्धित राज्यों को केन्द्रीय योजना सहायता से वसूली को भी पुनःवापिस कर दिया गया है।

5. उपलब्ध विदेशी सहायता का तीव्रता से समुपयोजन : विदेशी सहायता प्राप्त कर रही परियोजनाओं की तीव्रता से क्रियान्वित किए जाने को विद्युत मंत्रालय द्वारा दिए जा रहे महत्व को मद्देनजर रखते हुए विदेशी सहायता के समुपयोजन में और वृद्धि हुई है।

6. विद्युत के उत्पादन और वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना : विद्युत के उत्पादन और वितरण में

निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने निजी विद्युत के विकास के लिए प्रोत्साहनों और मार्गदर्शी सिद्धान्तों के एक पैकज को तैयार किया है। इस मामले में सरकार निरन्तर सम्भावित उद्यमियों, वाणिज्य मामलों, व्यापार संघों, राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों से परस्पर सम्पर्क बनाए हुए हैं। वर्तमान में लगभग 1340 मे. वा० की नवीन क्षमता का निजी क्षेत्र में निर्माण किया जा रहा है तथा एक नई लाइसेंसधारी कम्पनी ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है। इसके साथ ही 104152 करोड़ रूपये की लागत तथा 32662 मे०वा० की उत्पादन क्षमता की स्थापना हेतु लगभग 75 प्रस्तावों द्वारा रूचि प्रकट की गई है, जिनमें से 35 प्रस्ताव विदेश स्थित कम्पनियों से हैं।

अनुबंध–1

वर्ष 1993–94 के लिए संयंत्र भार अनुपात के लक्ष्य एवं उपलब्धि तथा उपलब्धियां 1994–95 के लिए लक्ष्य

संगठन/क्षेत्र	1993–94		1994–95
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4
केन्द्रीय क्षेत्र			
एन.टी.पी.सी.	64.4	76.9	73.9
एन.एल.सी.	60.3	55.5	69.3
डी.वी.सी.	38.3	42.3	42.6
जोड़ :	60.6	69.8	69.2
राज्य क्षेत्र			
डैसू	59.5	49.0	63.2
एच.एस.ई.बी.	51.8	40.3	51.8
आर.एस.ई.बी.	74.9	81.1	82.9
पी.एस.ई.बी.	60.4	63.5	67.8
यू. पी.एस.ई.बी.	52.8	50.1	50.3
जी.ई.बी.	65.5	60.4	62.9
एम.एस.ई.बी.	58.0	64.1	64.3
एम.पी.ई.बी.	54.9	56.0	56.5
ए.पी.एस.ई.बी.	69.5	68.7	72.5
विज्जेश्वरम (एपीजीपीसी)	0.00	0.0	0.0
के.पी.सी.	70.7	66.9	70.7
टी.एन.ई.बी.	61.5	69.1	62.9
बी.एस.ई.बी.	29.0	24.4	30.3
ओ.एस.ई.बी.	34.7	35.6	39.0
डब्ल्यू.बी.एस.ई.बी.	44.1	40.5	41.8
डब्ल्यू.बी.पी.डी.सी.	55.1	68.2	64.4
डी.पी.एल.	30.7	26.3	29.3
ए.एस.ई.बी.	32.5	19.9	33.6
राज्य क्षेत्र	56.4	56.6	58.5

1	2	3	4
निजी क्षेत्र			
ए.ई. कम्पनी	71.4	67.0	70.3
ट्राम्बे	51.5	48.8	52.4
सी.ई.एस.सी.	61.0	71.3	67.8
जोड़ :	57.1	57.0	58.9
अखिल भारत	57.8	61.0	62.0

अनुबंध–II

पारेषण एवं वितरण सम्बन्धी हानियों की मात्रा को राज्यवार दर्शाने वाला ब्यौरा

क्षेत्र	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991–92	1992–93
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र	1. हरियाणा	26.79	26.79
	2. हिमाचल प्रदेश	19.01	19.98
	3. जम्मू एवं कश्मीर	50.08	48.13
	4. पंजाब	21.70	19.61
	5. राजस्थान	23.07	22.71
	6. उत्तर प्रदेश	26.14	24.68
	7. चण्डीगढ़	29.64	26.21
	8. दिल्ली	24.66	24.02
	9. बी. बी. एम. बी.	4.36	3.52
पश्चिम क्षेत्र	1. गुजरात	23.56	22.20
	2. मध्य प्रदेश	25.82	22.52
	3. महाराष्ट्र	18.61	18.51
	4. दादर एव नगर हवेली.	19.66	17.98
	5. गोवा	25.70	21.80
	6. दमन एव दीव	15.90	15.67
दक्षिणी क्षेत्र	1. आन्ध्र प्रदेश	20.25	20.65
	2 कर्नाटक	19.93	19 62
	3. केरल	22.47	22.77
	4. तमिलनाडु	18.44	17.30
	5. लक्षद्वीप समूह	17.43	18.72
	6. पाण्डिचेरी	18.00	15.31

1	2	3	4
पूर्वी क्षेत्र	1. बिहार . . .	18.31	17.15
	2. उड़ीसा . . .	25.50	25.87
	3. सिक्किम . . .	25.89	22.91
	4. प० बंगाल . . .	19.72	17.55
	5. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	21.66	23.62
	6. डी. वी. सी. . .	2.30	1.99
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	1. असम . . .	22.66	21.41
	2. मणिपुर . . .	24.43	22.35
	3. मेघालय . . .	11.65	11.62
	4. नागालैण्ड . . .	23.14	27.26
	5. त्रिपुरा . . .	31.96	30.64
	6. अरुणाचल प्रदेश . .	28.20	32.32
	7. मिजोरम . . .	34.95	29.04
अखिल भारत (यूटिलिटीज)		22.83	21.80

टिप्पणी :— मेघालय के बारे में पारेषण एवं वितरण हानियों की मात्रा कम दर्शाने का कारण पड़ोसी राज्यों को वृहत् मात्रा में उर्जा की बिक्री की जानी है ।

Import of gold

*127. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
SHRIMATI MIRA DAS:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are considering import of gold through RBI or any other official channel;

(b) whether it is a fact that recently NRIs were attacked and their relations killed on their way to a hotel in Bombay when NRIs from Dubai brought 9¼ Kg. gold legally and smugglers came to know about it through Sahar customs channel and attacked them;

(c) whether Government are aware that clandestine import of gold gives profit of Rs. 1,25,000 or more per five Kg.;

(d) whether Government would drastically cut down duty on gold and bring it at par with neighbouring countries rates; and

(e) what are the details of the custom rates on gold import of the neighbouring countries ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) A Scheme to import gold through the State Bank of India for supply to elibible passengers under the Gold Import Scheme is under the consideration of the Government.

(b) A couple who had arrived from Dubai and landed at Sahar International Airport, Bombay, at 3.00 AM on 17-6-94 cleared on payment of duty 42 gold bars each (weighing a total of 4900 grams in each case). They were attacked by four unknown persons at 5.30 AM in front of Agripada Zopadpatti, Vakola, Santa-Cruz (East), Bombay, when these passengers were proceeding to their residence with their relatives. In the attack, one